# राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

//

# राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

**भारतीय संविधान के भाग IV के अंतर्गत अनुच्छेद 36-51 में DPSP को आयरिश संविधान से लिया गया है।**

**अनुच्छेद 37** राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे।

## समाजवादी सिद्धांत

- **अनुच्छेद 38:** राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। **(44वाँ संविधान संशोधन*)**
- **अनुच्छेद 39:**
  - सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
  - भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना।
  - कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना।
  - पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन।
  - श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
  - बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना।
  - **अनुच्छेद 39A:** गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता **(42वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- **अनुच्छेद 41:** बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने तथा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना।
- **अनुच्छेद 42:** राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।
- अनुच्छेद 43: राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य कदम उठाएगा। (42वाँ संवैधानिक संशोधन)
- **अनुच्छेद 47:** लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।

## गांधीवादी सिद्धांत

- **अनुच्छेद 40:** राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 43:** राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
  - **अनुच्छेद 43B:** सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। **(97वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- **अनुच्छेद 46:** राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
- **अनुच्छेद 47:** राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।
- **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये।

## उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत

- **अनुच्छेद 44:** भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना।
- **अनुच्छेद 45:** सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। **(86वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- **अनुच्छेद 48:** कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।
  - **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। **(42वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- **अनुच्छेद 49:** राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना।
- **अनुच्छेद 50:** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाना।
- **अनुच्छेद 51:** यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा।

***संवैधानिक संशोधन (CA) = संवैधानिक संशोधन**

दृष्टि The Vision | d
Drishti IAS

**और पढ़ें:** राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/directive-principles-of-state-policy-3